संख्या: 106/2018/2002/छप्पन-2018-31/2016

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ :दिनांक : 20 अक्टूबर, 2018

विषय: नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों को धारा-11 के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु 10 प्रतिशत अर्जन व्यय तथा 10 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या: 360/ना0उ0नि0/2018, दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों को धारा-11 के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु 10 प्रतिशत अर्जन व्यय तथा 10 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर की अवशेष धनराशि रू0 2,40,02,12,360.00 (रूपए दो अरब चालीस करोड़ दो लाख बारह हजार तीन सौ साठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों को धारा-11 के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु 10 प्रतिशत अर्जन व्यय तथा 10 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर की अवशेष धनराशि रू0 2,40,02,12,360.00 (रूपए दो अरब चालीस करोड़ दो लाख बारह हजार तीन सौ साठ मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर धनराशि रू0 2,40,02,12,360.00 (रूपए दो अरब चालीस करोड़ दो लाख बारह हजार तीन सौ साठ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

III. कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों को धारा-11 के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन के लिए जमा की जाएगी।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IV. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(Vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

V. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 में नहीं रखा जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,40,02,12,360.00 (रूपए दो अरब चालीस करोड़ दो लाख बारह हजार तीन सौ साठ मात्र) को आहरित कर तत्काल कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखा जाएगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24 वृहत्त निर्माण कार्य'' के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-949/दस-2018, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या: 106/2018/2002(1)/छप्पन-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिटभवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- मण्डलायुक्त, मेरठ।
5- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कार्यापालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
8- मुख्य कार्यापालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
9- मुख्य कार्यापालक अधिकारी, नयू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
11- विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
13- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
14- समीक्षा अधिकारी (बजट) ।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।